लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2019
संख्या-10/2019/89/तीस-4-2019-160/96

प्रेषक,

आराधना शुक्ला,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

परिवहन अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक: 19 मार्च, 2019

विषय: लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2019 में यातायात प्रबन्ध हेतु प्रयुक्त किए जाने वाले वाहनों के ईधन खपत की दरों के निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या-6/2017/66/तीस-4-2017/160/96, दिनांक 20 जनवरी, 2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2019 में यातायात प्रबन्ध हेतु प्रयुक्त किए जाने वाले सरकारी वाहनों अथवा सरकारी कार्यों हेतु प्रयोग में लाये जाने वाले वाहनों में संलग्न सूची में उल्लिखित मानक के अनुसार पेट्रोल/डीजल/सी0एन0जी0 की खपत किलोमीटर प्रति लीटर अनुमन्य होगी।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीया,

(आराधना शुक्ला)
प्रमुख सचिव।

संख्या-10/2019/89(1)/तीस-4-2019-363/93टीसी तदद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
4. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
5. गार्ड-फाईल।

आज्ञा से,

(आशुतोष चन्द्र पाण्डेय)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-10/2019/89(2)/तीस-4-2019-160/96, दिनांक 19 मार्च, 2019 का संलग्नक

क्र0सं0	निर्माता का नाम	वाहन का मॉडल	ईधन	ईधन की खपत दर
1	टोयटा	इन्नोवा क्रिस्टा	डीजल	12-13
2	होण्डा कार	डब्ल्यू0आर0वी0	पेट्रोल	13-14
3	टाटा मोटर्स	नेक्सन	डीजल पेट्रोल	17-18 14-15
4	टाटा मोटर्स	टीगोर	डीजल	18-19
5	महेन्द्रा	मेराजो	डीजल	13-14
6	महेन्द्रा	शुप्रो	डीजल	18-20
7	महेन्द्रा	टयूरिस्टर 25सीटर	डीजल	09-10
8	महेन्द्रा	टयूरिस्टर 32सीटर	डीजल	07-08
9	अशोका लीलेण्ड	सनशाइनक	डीजल	07-08.5
10	अशोका लीलेण्ड	टीएफ1812	डीजल	03.5-04.5
11	अशोका लीलेण्ड	टीएफ1812	डीजल	04-05
12	वीकामर्शियल	आयशर1212के	डीजल	04.5-06
13	वीकामर्शियल	आयशर1050 डी	डीजल	07.5-09
14	फोर्स मोटर	गुरखा	डीजल	10-11

आज्ञा से,

(आशुतोष चन्द्र पाण्डेय)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।